न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 137/2020 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2020/00133

1. देवीलाल पुत्र श्री लूणाराम बिश्नोई निवासी ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. वीरेन्द्र कुमार पंवार पुत्र श्री ओमप्रकाश पंवार जाति पंवार(अनुसूचित जाति) निवासी 1–घ–33 जवाहर नगर जयपुर जिला जयपुर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री महावीर प्रसाद शर्मा एवं
श्री मदन सरोलिया – अभिभाषक अपीलांट
श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 13.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.01.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 18 एल.जी.डब्ल्यू (ए) पत्थर नम्बर 12/296, के किला नंबर 15/0.101 हैक्टयर, 16/0.253 हैक्टयर, 25/0.253 हैक्टयर कुल 0.607 हैक्टयर खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आपीलांट के नाम दर्ज है। इसी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू (ए) प.न. 12/296 किला नंबर 5,6,15,16,25 में स्वीकृत रास्ता से आवागमन अपीलार्थी कर रहा था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने चक नं. 18 एल.जी.डब्ल्यू (ए) प.नं. 12/296 में किला नंबर 1 ता 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि जबरा वल्द अंतर सिंह से खरीद कर ली। उक्त प.नं. 12/296 के किला नंबर 5,6,15,16,25 में प्रत्येक में 0.025 हैक्टयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता हेतु आरक्षित दर्ज होना अपील अपीलांट द्वारा बताया गया है। उक्त उक्त प.नं. 12/296 किला नंबर 1 ता 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली। पटवारी रिपोर्ट में प.नं. 12/296 किला नंबर 5 में मिट्टी डालकर रास्ता बंद बताया गया है। जिससे अपीलांट को आवागमन में असुविधा हो रही है। अपीलांट ने चक 18 एल.जी.डब्ल्यू (ए) प.न. 12/296 किला नंबर 5,6,15,16,25 प्रत्येक में 0.025 हैक्टयर भूमि गै.मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 27.01.2020 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यह मामला धारा 136 एल.आर.एक्ट की परिधि में कतई नहीं आता और अन्यत्र रास्ता उपलब्ध होने से वर्तमान स्तर पर यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 27.01.2020 सें व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— वादग्रस्त भूमि चक 18 एल.जी.डब्ल्यू (ए) पत्थर नम्बर 12/296, के किला नंबर 15/0.101 हैक्टयर, 16/0.253 हैक्टयर, 25/0.253 हैक्टयर कुल 0.607 हैक्टयर खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आपीलांट के नाम दर्ज है। इसी चक 18 एल.जी.डब्ल्यू (ए) प.न. 12/296 किला नंबर 5,6,15,16,25 में स्वीकृत रास्ता से आवागमन अपीलार्थी कर रहा था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने किला नंबर 5 में मिट्टी डालकर रास्ता अवरूद्ध कर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में स्वंय के नाम खातेदारी दर्ज करवा ली। जिससे अपीलांट को आवागमन में असुविधा हो रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने चक नं. 18 एल. जी.डब्ल्यू (ए) प.नं. 12/296 में किला नंबर 1 ता 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि जबरा वल्द अंतर सिंह से खरीद की थी। उक्त चक के प.नं. 12/296 के किला नंबर 5,6,15,16,25 में प्रत्येक में 0.025 हैक्टयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता हेतु आरक्षित दर्ज है। खरीद के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किला नंबर 5,6,15,16,25 में 0.125 हैक्टयर भूमि का खातेदार नहीं है। किसी भी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी भी नहीं है। पं.नं. 12/296 किला नं 5,6,15,16,25 में स्वीकृत रास्ता पुनः धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज करवाने का अपीलांट पूर्ण रूप से अधिकारी है। पटवारी रिपोर्ट में प.नं. 12/296 किला नंबर 5 में केवल मिट्टी डालने से रास्ता बंद बताया। शेष किला नंबर 6,15,16,25 में रास्ता चालू दर्शित किया गया है। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद भी अपीलांट का धारा 136 एल.आर का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। उक्त गैर मुमकिन रास्ता को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा लिया। जिससे अपीलांट को आवागमन में असुविधा हो रही है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में मियाद बिन्दू के संबंध में THE SUPREME COURT OF INDIA के SUO MOTO WRIT PETITION (C) NO. 3 OF 2020 के न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं कि The period of limitation prescribed under the general law of limitation or under any special laws(both Central and/or State) due to the outbreak of the COVID-19 pandemic. The supreme court extension of the period of limitation in all proceedings before courts/Tribunals including this Court w.e.f. 15.03.2020 till further orders. On 08-03-2021, the order dated 23.03.2020 was brought to an end, permitting the relaxation of period of limitation between 15.03.2020 and 14.03.2021. While doing so. it was made clear that the period of limitation would start form 15.03.2021.

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश की है, अपीलांट ने मियाद बाहर अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना—पत्र पेश किया है मगर नियमानुसार प्रार्थना पत्र के साथ शपथ—पत्र करना मेन्डेटरी है। रूल 33 रेवेन्यु कोर्टस मेनुवल में स्पष्ट प्रावधान है। फिर भी प्रार्थना—पत्र के साथ शपथ—पत्र पेश नहीं है इस कारण प्रार्थना—पत्र अनकम्पलीट एवं डिफेक्टिव है। मियाद के बिन्दू पर अनकम्पलीट एवं डिफेक्टिव होने से अपील के साथ मान्य नहीं है। अपील इसी बिन्दू पर खारिज की जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने चक नं. 18 एल.जी.डब्ल्यू (ए) प.नं. 12/296 में किला नंबर 1 ता 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि जबरा वल्द अंतर सिंह से खरीद की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि पूर्ण प्रतिफल की राशि भुगतान कर क्रय की है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकित किये जाने की अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में कभी भी रास्ते का अंकन नहीं था। अपीलांट की भूमि को चक 18 एल.जी.डब्लयू (ए)

संभागीय आयुक्त बीकानेर

के पत्थर नम्बर 13/296 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में दर्ज गै.मु. रास्ता से होता हुआ पत्थर नंबर 12/395 व 13/295 में स्वीकृत नहर कि किनारे बने रास्ता से अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि से स्वीकृत रास्ता हैं जिससे अपीलांट अपने खेत में आता जाता हैं, अपीलांट को अन्यत्र कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है। जब अपीलांट को एक स्वीकृत रास्ता उपलब्ध हो तो वह दूसरे रास्ता की मांग नही कर सकता। प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थी को तंग वे परेशान करने की नियत से प्रार्थना–पत्र पेश किया है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में केवल लिपिकीय त्रुटि का सुधार किया जा सकता हैं, रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 27.01.2020 उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में मियाद बिन्दू के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया हैं:–

1. आर.आर.डी 2011 पेज संख्या 786
2. आर.आर.डी 1986 पेज संख्या 22
3. आर.आर.डी 2015 पेज संख्या 119
4. आर.आर.डी 2016 पेज संख्या 394
5. आर.आर.डी 2018 पेज संख्या 592
6. आर.आर.डी 1994 पेज संख्या 505

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, उभय पक्ष की बहस तथा न्यायिक दृष्टांतों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम एवं न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टांत को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा अपीलाधीन विवादित रास्ते का पूर्व में अंकन किया हुआ था जिसे बाद में हटा दिया गया हो। उक्त परिपेक्ष में अपीलाधीप प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 की परिधि में नहीं आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2020 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/5/24

(वंदना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर